



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ गाजियाबाद

“सार्वजनिक सूचना”

एतदद्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि इन्दिरापुरम विस्तार योजना में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-06, 07 एवं 08, कुल क्षेत्रफल 30359.51 के ग्रुप हाउसिंग के स्थान पर एकल आवासीय भूखण्डों में नियोजित करते हुये संशोधित तलपट मानचित्र तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या 2438 / 9-आ-3-98-60 एल.यू.सी./ 96 दिनांक 13 अक्टूबर, 1998 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड की 165वीं बैठक दिनांक 05.08.2024 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने हेतु उप्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त तलपट मानचित्र का अवलोकन किसी भी कार्यदिवस में मुख्य नगर नियोजक एवं नगर नियोजक के कार्यालय कक्ष में किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति / सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति / सुझाव मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति / सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, **f** : @ Gда Ghaziabad **t** : @ gdagzb
हेल्पलाईन 0120-4418 384, व्हाट्सएप: 9990988004 वेबसाईट: www.gdaghaibad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प